रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258207 CG-DL-E-24102024-258207

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4263]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2024/ कार्तिक 1, 1946

No. 4263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4637(अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नयागांव मयूर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3034 (अ), तारीख 07 सितम्बर, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

6911 GI/2024 (1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3034 (अ), तारीख 07 सितम्बर, 2020 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3034(अ), तारीख 07 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"5. निगरानी समिति. — केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: —

i. जिला कलेक्टर. बीड अध्यक्ष. पदेन:

ii. क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य, पदेन;

iii. पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर- सदस्य; सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाएगा।

iv. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर सदस्य; तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

v. पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;

vi. नगर योजना कार्यालय, बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य, पदेन:

vii. मुख्य वन संरक्षक, औरंगाबाद क्षेत्र सदस्य, पदेन;

viii. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, औरंगाबाद सदस्य, पदेन;

ix. प्रभागीय वन अधिकारी, बीड सदस्य सचिव, पदेन।

6. निगरानी सिमिति के कृत्य:- (1) निगरानी सिमिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सिम्मिलित हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

- (2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी सिमिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
- (3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में निर्दिष्ट प्रारुप में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है. जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/53/2017-ईएसजेड] डॉ. स्. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3034 (अ) तारीख 7 सितंबर, 2020 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2024

S.O. 4637(E). — WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Naigaon Mayur Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3034 (E), dated the 7th September, 2020;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3034 (E), dated the 7th September, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3034 (E), dated the 7th September, 2020; namely:—

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely:

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: —

District Collector, Beed (i) Chairman, ex officio; (ii) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board Member, ex officio; one representative of non-governmental organization working in the field of (iii) Member; Environment to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years. (iv) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Member: Government of Maharashtra from time to time every three years. Member, ex officio; a representative of the Department of Environment, Government of (v) Maharashtra (vi) a representative of the Town Planning office, Beed Member, ex officio; (vii) Chief Conservator of Forest, Aurangabad Circle Member, ex officio; (viii) Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Aurangabad Member, ex officio; (ix) Divisional Forest Officer, Beed Member Secretary,

- 6. **Functions of the Monitoring Committee.** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities 9specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department concerned, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/53/2017-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

ex officio.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3034 (E), dated the 7th September, 2020.